

अनुदान संख्या 56 – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
GRANT No. 56 - MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-			
मूल	Original	91,81,00		
		100,92,00	95,07,14	-5,84,86
पूरक	Supplementary	9,11,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	35421,29,00		
		35421,34,00	22953,57,39	-12467,76,61
पूरक	Supplementary	5,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5485,82,00
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित—	Charged-			
		71,92,00	45,84,18	-26,07,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			24,46,00
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	19472,42,00		
		19551,89,00	19259,15,05	-292,73,95
पूरक	Supplementary	79,47,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			283,20,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (₹584.86 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त ₹911.00 लाख का पूरक विनियोग का 64 प्रतिशत और कुल

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹584.86 lakhs) constituted 64 percent of the supplementary

स्वीकृत विनियोग का 6 प्रतिशत थीं।

appropriation of ₹911.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and 6 percent of the total sanctioned appropriation.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
---------------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास पू.	Head Major head "2217" Urban Development S.	910.00
पु.	R.	-860.00

(1) ₹942.00 लाख का विनियोग (₹910.00 लाख का पूरक विनियोग सहित) प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹910.00 लाख मुख्य शीर्ष "2217" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रपति संपदा स्थापना" - वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निदेशन के तहत मुख्य शीर्ष "2216" से के अंतर्गत प्रावधान का अंतरण के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(1) Appropriation of ₹942.00 lakhs (including supplementary appropriation of ₹910.00 lakhs) remained wholly unutilized under three heads; of these supplementary appropriation of ₹910.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2217" - "General - Direction and Administration - President Estate Establishment" - due to shifting of provisions to Major Head "2216" as per directions issued by the Ministry of Finance.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2058"	Major head "2058"				
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	27379.00	23631.50	23273.37	-358.13
पु.	R.	-3747.50			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	200119.00	194843.40	192151.10	-2692.30
पु.	R.	-5275.60			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	931574.00	931387.43	512551.26	-418836.17
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-188.57			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	168425.00	103660.84	100861.09	-2799.75
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-64765.16			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	129656.00	916.07	..	-916.07
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-128740.93			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	2352.00			
			3046.51	2886.21	-160.30
पु.	R.	694.51			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1994203.00			
पू.	S.	1.00	1704459.61	1434743.19	-269716.42
पु.	R.	-289744.39			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	78242.00			
			20669.64	18492.21	-2177.43
पु.	R.	-57572.36			

(I) ₹825187.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹824656.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(I) Provision of ₹825187.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹824656.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" - "शहरी आवास - आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अंतरण - केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण" - ₹417193.00 लाख - लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2216" - "Urban Housing - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" - ₹417193.00 lakhs - due to non-finalisation of accounting procedure.

- | | |
|--|--|
| <p>(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –</p> <p>(क) “पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पूल संसाधन – पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना” – ₹23584.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और स्कीम के बंद होने के कारण थे।</p> <p>(ख) “शहरी आवास – अन्य अनुदान – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर)” – ₹51575.00 लाख;</p> <p>(ग) “जल आपूर्ति – शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – शहरी अवसंरचना विकास परियोजना” – ₹14998.00 लाख;</p> <p>(घ) “अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)” – ₹6738.00 लाख;</p> <p>(ङ) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन” – ₹15000.00 लाख;</p> <p>(च) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –</p> <p>(i) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” – ₹674.00 लाख;</p> <p>(ii) “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹14149.00 लाख; और</p> <p>(छ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹2810.00 लाख।</p> | <p>(B) Major Head “2552” -</p> <p>(a) “Central Pool of Resources for North East Region - North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)” - ₹23584.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and closure of the scheme.</p> <p>(b) “Urban Housing - Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - ₹51575.00 lakhs;</p> <p>(c) “Water Supply - Urban Water Supply Programme - Urban Infrastructure Development Projects” - ₹14998.00 lakhs;</p> <p>(d) “Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - ₹6738.00 lakhs;</p> <p>(e) “Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission” - ₹15000.00 lakhs;</p> <p>(f) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -</p> <p>(i) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - ₹674.00 lakhs;</p> <p>(ii) “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - ₹14149.00 lakhs; and</p> <p>(g) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - ₹2810.00 lakhs.</p> |
|--|--|

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part

उपयोग के लिए निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण” – ₹266813.00 लाख; और

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(क) “आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण” – ₹1320.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – 100 स्मार्ट सिटी मिशन” – ₹9802.00 लाख – कम मांग होने और निधियों को जारी करने के लिए आवश्यक मानदंड के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2058” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “लेखन सामग्री भंडारों की खरीद एवं पूर्ति – लेखन सामग्री नियंत्रक” – ₹1007.74 लाख की बचत (₹4375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और मांगकर्ताओं से कम मांग होने के कारण थे।

(खा) “सरकारी मुद्रणालय – मुद्रण एवं मुद्रण मुद्रणालय निदेशालय” – ₹3194.76 लाख की बचत (₹18734.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और स्थापना संबंधित व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)” - ₹266813.00 lakhs; and

(D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)” - ₹1320.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of accounting procedure.

(b) “Central Assistance/Share - Mission for 100 Smart Cities” - ₹9802.00 lakhs - due to less demand and non-fulfillment of required criteria for release of funds.

(II) Under Major Head “2058” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery” - saving of ₹1007.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4375.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less demand from indentors.

(B) “Government Presses - Directorate of Printing and Printing Presses” - saving of ₹3194.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18734.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष “2059” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “कार्यालय भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹1899.93 लाख की बचत (₹16200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “अन्य भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹872.35 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्य प्रभारित स्टॉफ के रिक्त पद न होने के कारण हुईं।

(गा) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन” –

(क) “कंप्यूटरीकरण स्कीम” – ₹545.88 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों और आर्थिक उपायों से कम मांगों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(ख) “निष्पादन” – ₹1321.41 लाख की बचत (₹6927.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) “केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थापना” – ₹2595.57 लाख की बचत (₹106577.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) मुख्य शीर्ष “2216” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “शहरी आवास – निदेशन और प्रशासन – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹886.81 लाख की बचत (₹1183.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(III) Under Major Head “2059” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Office Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹1899.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16200.00 lakhs); and

(B) “Other Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹872.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards salaries and non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(C) “General - Direction and Administration” -

(a) “Scheme of Computerisation” - saving of ₹545.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and economy measures.

(b) “Execution” - saving of ₹1321.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6927.00 lakhs);

(c) “CPWD Establishment” - saving of ₹2595.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹106577.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head “2216”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Urban Housing - Direction and Administration - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - saving of ₹886.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1183.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वेतन और स्थापना संबंधित व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य पूल आवास” –

(क) “रख-रखाव एवं मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹2465.83 लाख की बचत (₹18500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्य प्रभारित स्टाफ के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय – सम्पदा निदेशालय” – ₹924.02 लाख की बचत (₹6918.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, स्थापना संबंधित व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) “अन्य आवास – रख-रखाव और मरम्मत” –

(क) “अन्य रख-रखाव व्यय” – ₹706.85 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और चालू रख-रखाव कार्यों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) “कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹1248.75 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्य प्रभारित स्टाफ के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2217” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अन्य शहरी विकास स्कीमें” –

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds towards salaries and establishment related expenses.

(B) “General Pool Accommodation” -

(a) “Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹2465.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(b) “Other Expenditure - Directorate of Estates” - saving of ₹924.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6918.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(C) “Other Housing - Maintenance and Repairs”-

(a) “Other Maintenance Expenditure” - saving of ₹706.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and requirement of less funds towards ongoing maintenance works.

(b) “Work Charged Establishment” - saving of ₹1248.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(V) Under Major Head “2217” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Other Urban Development Schemes”-

(क) “निदेशन और प्रशासन – स्वच्छ भारत मिशन” – ₹8756.34 लाख की बचत (₹18501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) “स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, शहरी सुधार बोर्डों आदि को सहायता” –

(i) “100 स्मार्ट सिटी के लिए मिशन” – ₹49251.99 लाख की बचत (₹51587.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 हेविटेंट्स (एएमआरयूटी)” – ₹11228.75 लाख की बचत (₹15310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत स्थापना संबंधित व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांगों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(खा) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन – शहरी यातायात में क्षमता निर्माण (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त घटक)” – ₹2093.59 लाख की बचत (₹2911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और चल रहे अध्ययन के संबंध में व्यय/दावों के विलंब होने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “स्वच्छ भारत मिशन” – ₹101140.61 लाख की बचत (₹219999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मांगों के कारण हुईं।

(a) “Direction and Administration - Swachh Bharat Mission” - saving of ₹8756.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18501.00 lakhs);

(b) “Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc.” -

(i) “Mission for 100 Smart Cities” - saving of ₹49251.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51587.00 lakhs); and

(ii) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - saving of ₹11228.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15310.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds towards establishment related expenses and less demand from implementing agencies.

(B) “General - Direction and Administration - Capacity Building in Urban Transport (External Aid Component)” - saving of ₹2093.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2911.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and deferment of expenses/claims in respect of studies under progress.

(VI) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Swachh Bharat Mission” - saving of ₹101140.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹219999.00 lakhs) was due to less demand.

(खा) “100 स्मार्ट सिटी के लिए मिशन” – ₹250377.40 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹583611.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मांगों के होने और निधियों को जारी करने के लिए आवश्यक मानदंड को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(गा) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 हेविटेंट्स (एएमआरयूटी)” – ₹42220.11 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए ₹0.50 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹660690.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(VII) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “स्वच्छ भारत मिशन” – ₹11131.00 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 हेविटेंट्स (एएमआरयूटी)” – ₹37399.42 लाख की बचत (₹54000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कम मांगों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(VIII) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1152.68 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक, परंतु ₹500.00 लाख से कम है जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹31053.41 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2216” – “शहरी आवास” –

(B) “Mission for 100 Smart Cities” - saving of ₹250377.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹583611.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in November, 2019) was due to less demand and non-fulfillment of required criteria for release of funds.

(C) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - saving of ₹42220.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹660690.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in November, 2019);

(VII) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Swachh Bharat Mission” - saving of ₹11131.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs); and

(B) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - saving of ₹37399.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less demand/receipt of less claims.

(VIII) Under three heads savings of ₹1152.68 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to 24 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹31053.41 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2216” - “Urban Housing” -

- (क) “रियल स्टेट के अंतर्गत जारी (विनियमन और विकास अधिनियम, 2016) रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा)” – ₹350.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹348.70 लाख था।
- (ख) “सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹5265.34 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5270.55 लाख था।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2217” – “सामान्य – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्ड आदि – दिल्ली शहरी कला आयोग” – ₹1543.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1523.28 लाख था।
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजनाएं (एनईआरयूडीपी)” – ₹23895.07 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹23893.33 लाख था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।
- (का) मुख्य शीर्ष “2059” – “कार्यालय भवन – रख-रखाव और मरम्मत – अन्य मरम्मत व्यय” – ₹780.81 लाख का अधिक व्यय (₹22065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त भवन परिसर के मरम्मत कार्य से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2217” – “अन्य शहरी विकास स्कीमें – अन्य व्यय – शहरी निर्माण विकास परियोजनाएं” – ₹2811.49 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)
- (गा) मुख्य शीर्ष “3475” – “शहरी रोजगार उन्मुख कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” – ₹535.21
- (a) “Releases under the Real Estate (Regulation and Development Act, 2016) - Real Estate Regulatory Authority (RERA)” - ₹350.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹348.70 lakhs.
- (b) “Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - ₹5265.34 lakhs. Actual excess, however, was ₹5270.55 lakhs.
- (B) Major Head “2217” - “General - Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Delhi Urban Arts Commission” - ₹1543.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1523.28 lakhs.
- (C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - North Eastern Region Urban Development Projects (NERUDP)” - ₹23895.07 lakhs. Actual excess, however, was ₹23893.33 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head “2059” - “Office Buildings - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure” - excess of ₹780.81 lakhs (against the sanction provision of ₹22065.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance work of additional building complex in Supreme Court.
- (B) Major Head “2217” - “Other Urban Development Schemes - Other Expenditure - Urban Infrastructure Development Projects” - excess of ₹2811.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);
- (C) Major Head “3475” - “Urban Oriented Employment Programmes - National Urban

लाख का अधिक व्यय (₹2351.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

Livelihoods Mission (NULM)” - excess of ₹535.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2351.00 lakhs);

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” –

(D) Major Head “3601” -

(क) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(a) “Centrally Sponsored Schemes” -

(i) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –

(i) “Central Assistance/Share”-

(1) “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹46663.25 लाख का अधिक व्यय (₹31830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(1) “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - excess of ₹46663.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31830.00 lakhs);

(2) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” – ₹4181.29 लाख का अधिक व्यय (₹47436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(2) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - excess of ₹4181.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47436.00 lakhs);

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(1) “शहरी आवास – अन्य व्यय” – ₹14243.60 लाख का अधिक व्यय (₹139870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(1) “Urban Housing - Other Grants”- excess of ₹14243.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹139870.00 lakhs);

(2) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” – ₹869.13 लाख का अधिक व्यय (₹14583.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(2) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - excess of ₹869.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14583.00 lakhs);

(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान” – ₹2870.80 लाख का अधिक व्यय (₹26579.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(iii) “Tribal Area Sub-Plan - Urban Housing - Other Grants” - excess of ₹2870.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26579.00 lakhs); and

(ख) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पूल संसाधन – पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य

(b) “Other Transfer/Grants to States - Central Pool of Resources for North East Region -

में शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाएं” – ₹8203.41 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

Urban Infrastructure Development Project in North Eastern States” - excess of ₹8203.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh).

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above eight heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में प्रभारित अंश में, बचतें अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष “4216” आवास पर पूंजीगत परिव्यय मू. O. 5712.00	Major Head “4216” Capital Outlay on Housing	
पु. R. -2256.00		
		3456.00 3304.19 -151.81

(I) “सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – राष्ट्रपति सम्पदा” के अंतर्गत ₹2240.90 लाख (₹5512.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) चालू कार्य के धीमी प्रगति होने, अनुमोदन कार्य में विलंब होने और किफायत के उपाय के जाने के कारण हुई।

(I) Under “Government Residential Buildings - Other Housing - President's Estate” - saving of ₹2240.90 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹5512.00 lakhs) was due to slow pace of ongoing works, delay in approval of works and economy measures.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹29273.95 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹7947.00 लाख के पूरक अनुदान को अधिक हो गई और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹29273.95 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹7947.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"			
लेखन—सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing			
मू.	O.	3616.00		
		
पु.	R.	-3616.00		..
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"			
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	47250.00		
पू.	S.	851.00	52561.00	51913.83
पु.	R.	4460.00		-647.17
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"			
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	52483.00		
पू.	S.	7093.00	55786.00	55587.85
पु.	R.	-3790.00		-198.15
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"			
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development			
मू.	O.	381500.00		
पू.	S.	1.00	371307.00	371306.00
पु.	R.	-10194.00		-1.00
मुख्य शीर्ष "6217"	Major Head "6217"			
शहरी विकास के लिए कर्ज	Loans for Urban Development			
मू.	O.	1459893.00		
पू.	S.	2.00	1444895.00	1444893.00
पु.	R.	-15000.00		-2.00

(I) ₹3669.00 लाख का प्रावधान (₹53.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3616.00 लाख मुख्य शीर्ष “4058” – “सरकारी प्रेस – मुद्रण प्रेस” के अंतर्गत मुद्रण प्रेस के लिए मशीनों के लिए अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – निर्माण भवन” के अंतर्गत ₹26100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹850.00 लाख के पूरक अनुदान को बढ़ाकर ₹26950.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹378.94 लाख की सीमा तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विविध प्रभागों द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “4059” – “सामान्य निर्माण – खनिज” के अंतर्गत ₹535.04 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – सामान्य पूल आवास – शहरी विकास – निर्माण” – ₹3927.94 लाख की बचत (₹42483.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष “4217” – “अन्य शहरी विकास स्कीमें – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं” – ₹10194.00 लाख की बचत (₹381500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांगों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष “6217” – “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को कर्ज – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम” – ₹15000.00 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय

(I) Provision of ₹3669.00 lakhs (including supplementary grant of ₹53.00 lakhs) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹3616.00 lakhs alone accounted for under Major Head “4058” - “Government Presses - Printing Presses” - due to non-finalisation of machines for printing presses.

(II) Under Major Head “4059” - “Office Buildings - Construction - Buildings” - the original provision of ₹26100.00 lakhs was augmented to ₹26950.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹850.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹378.94 lakhs - due to utilisation of less funds by various divisions of Central Public Works Department and economy measures.

(III) Under Major Head “4059” - “General - Construction - Mines” - saving of ₹535.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Urban Development - Construction” - saving of ₹3927.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42483.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand from implementing agencies and economy measures.

(V) Under Major Head “4217” - “Other Urban Development Schemes - Investments in Public Sector and Other Undertakings - MRTS and Metro Projects” - saving of ₹10194.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹381500.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies.

(VI) Under Major Head “6217” - “National Capital Region - Loans to Public Sector and Other Undertakings - National Capital Region Transport Corporation (NCRTC)” - saving of ₹15000.00 lakhs

राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लिए सहायता माध्यम के अंतर्गत शून्य आवश्यकता होने के कारण हुई।

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “4059” – “सामान्य – निर्माण – अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय भवन” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4800.49 लाख था।

7. सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यहास आरक्षित निधि:—

सरकार की मूल्यहास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के उद्देश्य से आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू करने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वतः कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यहास की गणना मुद्रणालय के कार्य मात्रा उत्पादन में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार, निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट-फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान ज्ञात की गई मूल्यहास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। बचत प्रावधान विभाग की सूचना के आधार पर किया जाता है।

सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यहास निधि की नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय-समय पर उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि हासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष

(against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards “Pass Through Assistance for National Capital Region Transport Corporation”.

6. The above savings were partly (₹5000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “4059” - “General - Construction - Office Building of Other Ministries/Departments”. Actual excess, however, was ₹4800.49 lakhs.

7. Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department.

As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of

के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यहास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2019-2020 के लिए सरकार की मूल्यहास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2019-2020 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	41,64,46
प्राप्तियां	Receipts	1,60,36
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	43,24,82